



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12652

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-21775 वर्ष 2025

आकाश उर्फ अक्कू

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राजीव मिश्रा, रितेश कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री रितेश कुमार सिंह, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. यह आवेदक की ओर से दायर दूसरी ज़मानत याचिका है। पहले आदेश को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 2022 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-50155 में पारित दिनांक 4.3.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।
4. आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 302, 34 भ०द०वि०, थाना-बीटा-2, ज़िला: गौतमबुद्ध नगर के तहत 2022 के अपराध संख्या-01 में ज़मानत मांगी है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक 1.1.2022 से जेल में बंद है, इस प्रकार कारावास

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की अवधि चार वर्ष से अधिक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। केवल अ०सा०-1 की मुख्य परीक्षा आयोजित की गई है और परीक्षण धीमी गति से चल रहा है, इस प्रकार, निकट भविष्य में परीक्षण के समापन की कोई संभावना नहीं है।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है, सिवाय इसके कि आर्म्स एक्ट के एक मामले को छोड़कर उस पर प्रस्तुत मामले के बाद थोपा गया है। और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

8. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में ज़मानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, कैद की अवधि को ध्यान में रखते हुए और यह कि मुकदमा घोंघे की गति से चल रहा है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन की अनुमति है।

10. आवेदक- **आकाश उर्फ अक्कू**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।



11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

19 जनवरी, 2026\शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)